न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2013 (राजसमन्द डिक्री)

उदयलाल पिता दला जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

1. देवीलाल पिता उदयलाल जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

2. लोभचन्द पिता उदयलाल जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

3. सुशीला बेवा उदयलाल जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. किशनलाल पिता चेना जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

1/1. माधवलाल पिता किशनलाल जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डाडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. प्रेमी पुत्री किशनलाल जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. श्रीमती रामीबाई बेवा किशनलाल जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

2. शंकरलाल पिता वरदा जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

3. अम्बालाल पिता वरदा जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

3/1.ओमप्रकाश पिता अम्बालाल जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

3/2.ललित पिता अम्बालाल जी, जाति सुथार, नाबालिग जरिये वली माता भागुबाई बेवा अम्बालाल जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

3/3.दिनेश पिता अम्बालाल जी, जाति सुथार, नाबालिग जरिये वली माता भागुबाई बेवा अम्बालाल जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

3/4.भागुबाई बेवा अम्बालाल जी, जाति सुथार, निवासी पीपली डोडियान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा
दिनांक 13.05.2013, प्र. सं. 50/11

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री अक्षय पालीवाल अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री सरेन्द्र कुमार मेहता अभिभाषक रे॰सं॰ 1/1 से 1/3

———:::———

निर्णय दिनांक

21—05—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अन्य अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 389 से 391 एवं 397 से 401 कुल किता 8 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम पीपली डोडियान में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा वाद

पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष चेना जी थे, जिनके 3 पुत्र वरदा, दल्ला व किशनलाल हुए। वरदा के 2 पुत्र शंकरलाल व अम्बालाल हुए तथा दल्ला के वारिस उदयलाल, झमकु, मोहनी व सोहनी हुई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियां में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा होकर राजस्व अभिलेखों में इसी प्रकार अंकन है। उक्त भूमियों का आपसी विभाजन करीब 48 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से होकर पक्षकार वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार अपने–अपने हिस्से में आयी भूमियों पर काबिज हैं। सुविधा की दृष्टि से भूमियां स्वतंत्र रूप से अपने नाम दर्ज कराया जाना आवश्यक है, परन्तु प्रतिवादीगण टालमटूल करते हैं। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार पक्षकारान के मध्य भूमियों का विभाजन किया जाकर भूमियां स्वतंत्र रूप से अंकित की जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर 5 तनकियात कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13–05–2013 से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–07–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि 50 वर्ष

पूर्व आपसी सहमति से कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने 5 तनकियात विरचित की तथा तनकी संख्या 1 आंशिक वादी के पक्ष मं निर्णित करने में भूल की है। तनकी नंबर 1 व 3 खण्डनात्मक तनकी होने से दोनों का एक साथ निर्णय किया जाना चाहिए था तथा तनकी नंबर 3 अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित करने में भूल की है। इसी प्रकार अन्य तनकियों का भी सही विवेचन नहीं किया है तथा तनकी नंबर 5 अनावश्यक बनायी गयी है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे की कलम संख्या 4 अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट 1/1 से 1/3 के विद्वान अभिभाषक न बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद स्वीकार किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–05–2013 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....
व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

स्व॰ उदयलाल के बजाय देवीलाल सुथार, निवासी पीपली डोडियान, त. रेलमगरा, जि. राजसमन्द व अन्य

बनाम

स्व॰ किशनलाल के बजाय माधवलाल सुथार, निवासी पीपली डोडियान, त. रेलमगरा, जि. राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰.....22 / 2013.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....रेलमगरा..... मुकाम.....मुवर्खे.....13.....माह..... 05.....2013

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....21....माह.....05.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी.....श्री अक्षय पालीवाल.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–05–2013 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....21.....माह.....05... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।